ईमामूखॉ बनाम मु. शरमा

05-10-23

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा पत्रावली पर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के धारण की भूमि रही है। जिसके खातेदारी अधिकारों के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष धारा 15एएए (क–2) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 30–06–2014 को लालूखॉ वल्द पीरणखॉ के वारिसान होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में जारी की गई। उक्त आदेश की पालना में तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार यथा जमाबन्दी में दर्ज हो चुका है तथा कालान्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को बेचान किया जा चुका है। अदालत मातहत द्वारा रिव्यू आदेश दिनांक 12–08–2014 के माध्यम से दिनांक 30–06–2014 को जारी खातेदारी सनद् को इस आधार पर खारिज किया गया है कि चूंकि प्रार्थी इमामूखॉ ने अकेले अपने नाम भूमि दर्ज करवा ली है, जबकि वह प्रार्थिया भी वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के ग्राम गोकल के खसरा नम्बर 286, 291, 339 व 340 की तादादी 170 बीघा 11 बिस्वा में संयुक्त खाते 1/2 हक व हिस्से की अधिकारिणी है। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थिया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथन मात्र पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना व बिना इस तथ्य की जॉच किये बिना की उनके द्वारा दिनांक 30–06–2014 को लालूखॉ के दोनों वारिसान के हक में अर्थात 1/2–1/2 हक व हिस्से के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है, पूर्व में जारी खातेदारी सनद् को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। चूंकि दिनांक 30–06–2014 के आदेशों की पालना में अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में कालान्तर में एकतरफा तौर पर जारी रिव्यू आदेश दिनांक 12–08–2014 का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–08–2014 को निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट् के कथन पर अपनी सहमति व्यक्त की गई।

प्रकरण में इस संबंध में अपीलाधीन आदेश, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के ग्राम गोकल के खसरा नम्बर 286, 291, 339 व 340 की तादादी 170 बीघा 11 बिस्वा जोकि पूर्व में लालूखॉ वल्द

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

मीरणखॉ के नाम दर्ज भूमि थी, के खातेदारी अधिकारों के बाबत् अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 15 एएए(2–क) के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकारों की धोषणा किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तमाम रिकार्ड व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 30–06–2014 को जारी किये गये तथा उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। कालान्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अदालत मातहत के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट् के हक में जारी करते हुए प्रार्थिया/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी अधिकार जारी नहीं किये गये है, पर अदालत मातहत द्वारा पूर्व में जारी खातेदारी असलद् व राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी जिसमें अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दोनों का नाम वादग्रस्त भूमि के बाबत् 1/2–1/2 हक व हिस्से के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, का अवलोकन किये बिना व अपीलांट्/अप्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना पूर्व में दिनांक 30–06–2014 को जारी खातेदारी सनद् को अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–08–2014 के माध्यम से विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है। चूंकि प्रस्तुत अपील में दौराने बहस दोनों पक्षों द्वारा अपील को स्वीकार करने का कथन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उभय पक्षों की सहमति व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–08–2014 को निरस्त करते हुए दिनांक 30–06–2014 को जारी खातेदारी सनद् को यथावत् बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर